संख्या-64/2017/2037/24-1-17-1853/2011

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की खारा लघु जल विद्युत परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के पत्र संख्या- 274/बीव-3/(बजट), दिनांक 16 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को खारा जल विद्वुत परियोजना (1500 कि0वा0) के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 80,00,000/- (रूपये अस्सी लाख मात्र) स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पूर्व वर्ष में इस मद में स्वीकृत समस्त धनराशि व्यय कर ली गयी हो।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में बैंक अथवा डाक घर में जमा नहीं की जायेगी। स्वीकृति धनराशि किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01- हाईडिल उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04- उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0- 131 /दस-2017, दिनांक 28 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-64/2017/2037(1)/24-1-17, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /राज्य योजना आयोग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in